November 28, 2023

The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051
Symbol: YATHARTH

Dept. of Listing Operations
BSE Limited,
P J Towers, Dalal Street,
Mumbai -400001, India

Scrip Code: 543950

Sub.: Intimation of information under Regulation 30, Schedule III, Part-A and Para-A.

Dear Sir/Ma'am,

This is to inform you that our Company has acquired M/s. Ramraja Multispeciality Hospital & Trauma Centre Private Limited (hereinafter refer as "Ramraja Hospital") on February 18, 2022 by way of acquiring 100% Equity Share. Initially Ramraja Hospital acquired total 5.698 hectare lands from different individual owners on different dates i.e. from the year 2012 to 2017, detailed sheet is enclosed as **Annexure-A**.

After acquiring these lands, Ramraja Hospital obtained NOCs from different govt authorities for commercial/hospital operation and the government converted these lands from agriculture to commercial/hospital use. Ramraja Hospital got operational in year 2017 and during year 2019 for road widening the National Highway Authority of India (NHAI) acquired 0.962 and 0.418 hectare land from the last owner of Ramraja Hospital and government paid compensation for the land acquired, enclosed as A**nnexure-B**.

We received an order from Commissionerate of Sagar Sambhag, Madhya Pradesh to take over the premises of the hospital, as the land as stated in the said order belongs to the Government of Madhya Pradesh.

We further inform you that no notice or communication in this regard was received by the Company before and this order has come as a total surprise to us. The Company believes that this order is not based on true facts and has decided to prefer an appeal at the Madhya Pradesh High Court.

This communication is for your information under regulation 30, schedule III, Part A and will inform ones we have the final outcome in this regard.

Thanking you,

Your faithfully,
For **Yatharth Hospital and Trauma Care Services Limited**

Ritesh Mishra
Company Secretary & Compliance Officer
Mem. No. A51166

Annexure-A

Listing and detail of Land

Sr. No	Land Area (Hectare)	Purchased from	Arazi particulars and number	Registry date
1.	1.067	Deepak Kumar Gupta & Anil Agarwal	Babedi Jungle 27/1/3	22.08.2012
2.	1.092	Dharm Pal Singh, Awadesh Agarwal, Kaushal Kishore & Sanjay Agarwal	Babedi Jungle 2/3/1	23.08.2012
3.	0.213	Pushpa Devi Agarwal	Babedi Jungle 27/1/2 and 1/5 of 1.067	28.08.2012
4.	0.854	Pushpa Devi Agarwal	Babedi Jungle 27/1/2 and 4/5 of 1.067	28.08.2012
5.	1.000	Nitin Agarwal & Ankur Agarwal	Babedi Jungle 2/3/2-1	28.08.2012
6.	0.093	Arvind Agarwal	Babedi Jungle 2/3/2-.093	22.10.2012
7.	0.632	Vidhu Sharma	Babedi Jungle 27/1A/1K	12.02.2014
8.	0.747	Lachhi Ahirwar	Babedi Jungle 27/2/B/1	14.06.2017
Total	**5.698**			
Less	0.962	Land Acquired by NHAI		
Less	0.418	Land Acquired by NHAI		
Total	**4.318**	Balance land with the Ramraja Hospital		

Annexure-B

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी,(भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),

निवाड़ी, जिला-निवाड़ी (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक-01/अ-82/2017-18 निवाड़ी दिनांक 20/03/2019

प्रति,

श्री रामराजा मल्टीस्पेशलिटी
हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर
प्रा०लि० जरिये डायरेक्टर
डॉ प्रदीप तनय जगदीश कुमार जैन नि० झांसी

विषय:-मुआवजा राशि प्राप्त करना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(E) के अंतर्गत कब्ज़ा हस्तांतरण बावत।

------00--------

इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 20/12/2017, 31/07/18 के दवारा ग्राम बबेडी जंगल में आपकी भूमि खसरा नंबर 2/3/1, 2/3/2, 27/1/अ/3, 27/1/अ/2, 27/1/अ/1 रकबा 0.962 हेक्टेयर का अधिग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में किया गया हैं ।

अत: आप अर्जित भूमि खसरा नं. 2/3/1, 2/3/2, 27/1/अ/3, 27/1/अ/2, 27/1/अ/1 रकबा 0.962 हेक्टेयर की निर्धारित मुआवजा राशि रु० 75,48331/- (पिचहत्तर लाख अड़तालीस हजार तीन सौ इकतीस रु० मात्र) दिनांक 23/03/19 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पर उपस्थित होकर अपने साथ बैंक पासबुक, एवं पहचान पत्र सहित अपने बैंक खाते में हिस्सा अनुसार ऑनलाइन प्राप्त करें एवं अधिग्रहित की गई भूमि का कब्ज़ा भा०रा०रा०प्रा० को सौप दें ।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(E) के अंतर्गत ऐसा न करने पर आपकी भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दी जावेगी ।

सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन)
एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
निवाड़ी, जिला-निवाड़ी(म०प्र०)

33004/99 REGD. NO

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2225] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 25, 2010/कार्तिक 3, 1932
No. 2225] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 25, 2010/KARTIKA 3, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2640(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1384(अ), तारीख 10 जून, 2010, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 4.300 कि.मी. से 7.400 कि.मी., 8.400 कि.मी. से 10.10 कि.मी., 20.40 कि.मी. से 30.40 कि.मी., 37.50 कि.मी. से 38.30 कि.मी. और 40.30 कि.मी. से 41.90 कि.मी. (झांसी-खजुराहो सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 23 जुलाई, 2010 को "दैनिक भास्कर" और "दैनिक जागरण" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

4	5	6	7	8	9
	248/5/2/क	निजी	असिंचित	0.030	शीला देवी पत्नी महेश नारायण गुप्ता नि0 झांसी।
	248/5/3/2/ख	निजी	असिंचित	0.010	चन्द्र प्रकाश तनय जगत सिंह निवासी खिल्ली। ओम प्रकाश तनय गोपी नाथ अग्रवाल. सचिन तनय एच0एस0 गुप्ता नि0 झासी।
	248/5/3/2/ग	निजी	असिंचित	0.015	चन्द्र प्रकाश तनय जगत सिंह निवासी खिल्ली। ओम प्रकाश तनय गोपी नाथ अग्रवाल, सचिन तनय एच0एस0 गुप्ता नि0 झासी।
	250	सरकारी	उद्योग क्षेत्र	0.120	उद्योग विभाग प्रक्षेत्र म0 प्र0 शासन।
	261/1	निजी	असिंचित	0.120	जर्नादन तनय बाबू लाल गडरिया नि0 मउरानीपुर।
	261/2				बसुंधरा सिंह पत्नी अरविन्द सिंह ठाकुर। देवेन्द्र सिंह तनय लखन सिंह ठाकुर, नि0 झांसी।
(2) बबेड़ी जंगल	2/3/1	निजी	असिंचित	0.012	धर्मपाल सिंह तनय जानकी प्रसाद यादव अवधेश तनय हरीराम अग्रवाल कोशल, किशोर तनय राधेलाल अग्रवाल संजीव तनय रामस्वरुप अग्रवाल नि0 झासी।
	2/3/2	निजी	असिंचित	0.100	अरविन्द कुमार तनय हरीशंकर नि0 बरूवा सागर, नितिन तनय शंकर अग्रवाल अकुर तनय पुरोत्तम अग्रवाल नि. झासी।
	27/1अ/3	निजी	असिंचित	0.290	विद्या पुत्री देवीप्रसाद पस्तोर नि. पन्ना, अजय तनय हरस्वरूप शर्मा. वैभव तनय अजय ना0 वा0 सर्वा पिता अजय
	27/1अ/2	निजी	असिंचित	0.290	श्रीमती पुष्पा पत्नि ओमप्रकाश अग्रवाल झांसी।
	27/1अ/1क	निजी	असिंचित	0.270	विधू पत्नि किशोरीलाल शर्मा नि. विजोली।
	27/1अ/1ख	निजी	असिंचित	0.380	शरीफ कुरैशी तनय शलीम कुरैशी, आलोक तनय लखन राय नि0 झांसी।
	28	सरकारी	रास्ता	0.030	मध्य प्रदेश शासन।
	29	निजी	असिंचित	0.190	रामदेवी पत्नी बाबूलाल नि0 झांसी।
	30	सरकारी	सडक	0.035	मध्य प्रदेश शासन।
	31/1/1	सरकारी	नजूल	0.603	मध्य प्रदेश शासन।
	31/1/2	सरकारी	धर्मशाला	0.037	मध्य प्रदेश शासन।
	31/2	निजी	असिंचित	0.620	बृजमोहन, हरीराम तनय ज्वाला प्रसाद राय नि. झांसी
	32	सरकारी	रास्ता	0.020	मध्य प्रदेश शासन।
	33	निजी	असिंचित	0.350	कैलाश तनय ज्वाला प्रसाद राय झांसी
	34	निजी	असिंचित	0.120	सुरेश कुमार तनय रामसेवक जिजौरा, कैलाश ज्वालाप्रसाद राय नि0 झांसी।
	35	निजी	असिंचित	0.077	कन्हैयालाल तनय सुखसिंह, रामसहाय, सियाराम, लखनलाल तनय बाबुलाल, राम भरोसे, रमेश तनय जमना, सावित्री देवी बेवा जमना रब्बू अहिल्या पुत्री जमना, सहेली देवी, मन्नू देवी बाबूलाल नि0 जिजोरा
	36	निजी	असिंचित	0.258	कैलाश तनय ज्वालाप्रसाद राय नि0 झांसी
	37/3	निजी	असिंचित	0.255	ज्वाला प्रसाद तनय जुगे राय नि0 झांसी

न्यायालय सक्षम प्राधिकारी,(भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
निवाड़ी, जिला-निवाड़ी (म.प्र.)

निवाड़ी दिनांक 22/06/2020

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2019-20

प्रति,

श्री रामराजा मल्टीस्पेशलिटी
एण्ड ट्रामा सेन्टर प्रा. लि. जरिये
डॉ. प्रदीप तनय जगदीश कुमार जैन
निवासी - झाँसी
—— X —— X ——
—— X —— X ——

विषय:-मुआवजा राशि प्राप्त करना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(E) के अंतर्गत कब्ज़ा हस्तांतरण बावत।

------00--------

इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2019-20 में पारित आदेश दिनांक 17-02-2020 के दवारा ग्राम बबेड़ी जंगल में आपकी भूमि खसरा नंबर 2/3/2, 2/3/1, 27/1अ/3 रकबा 0.418 हेक्टेयर आपकी भूमि का अधिग्रहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में किया गया हैं ।

अत: आप अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों ग्राम बबेड़ी जंगल खसरा नं. 2/3/2, 2/3/1, 27/1अ/3 रकबा 0.418 हेक्टेयर की निर्धारित मुआवजा राशि रु० 12880134/- (रु. एक करोड़ अठठाइस लाख अस्सी हजार एक सौ चौंतीस रू. मात्र) दिनांक 25/06/2020 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पर उपस्थित होकर अपने साथ बैंक पासबुक की छाया प्रति IFSC कोड सहित, निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र फोटो नोटरी सहित एवं पहचान पत्र आदि अपने बैंक खाते में हिस्सा अनुसार ऑनलाइन प्राप्त करें एवं अधिग्रहित की गई भूमि का कब्ज़ा भा०रा०रा०प्रा० को सौप दें ।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(E) के अंतर्गत ऐसा न करने पर आपकी भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दी जावेगी ।

सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन)
एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
निवाड़ी, जिला-निवाड़ी(म०प्र०)

REGD. NO. D. L.-33004/99
सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3075] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2019/भाद्र 28, 1941
No. 3075] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2019/BHADRA 28, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2019

का.आ. 3361(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5517 (अ) दिनांक 26 अक्टूबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में NH39 के कि.मी. 3.92 से कि.मी.9.5 (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "28 नवम्बर, 2018 " को "दैनिक भास्कर" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के टीकमगढ़ जिले में NH39 के कि.मी. 3.92 से कि.मी.9.5 (सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: टीकमगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: ओरछा				
	गाँव का नाम: बबेड़ी जंगल				
1	2 / 1	सरकारी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.45	पठार (२ / १)
2	2 / 3 / 2	निजी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.36	श्रीरामराजा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर डा. प्रदीप तनय जगदीश कुमार जैन नि. 68/1 कानपुर रोड़ झाॅसी (२ / ३ / २)
3	2 / 3/ 1	निजी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.418	श्रीरामराजा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर डा. प्रदीप तनय जगदीश कुमार जैन नि. 68/1 कानपुर रोड़ झासी (२ / ३ / १)
4	27 / 1 अ /3	निजी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.14	श्रीरामराजा मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर प्रा. लि. जरिये डायरेक्टर डा. प्रदीप तनय जगदीश कुमार जैन नि. 68/1 कानपुर रोड़ झासी (२७ / १ / ज्ञ/ ३अ)
5	29 / 54	निजी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.036	श्यामसुन्दर तनय बाबूलाल नि. 288 खुशीपुरा झासी (२९ / ५४)
6	29 / 55	निजी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.055	श्यामसुन्दर तनय बाबूलाल नि. 288 खुशीपुरा झासी (२९ / ५५)
7	29 / 56	निजी	नॉन एग्रीकल्चरल	0.36	उमेश कुमार तनय बाबूलाल, कमलापत तनय रामबगस नि प्रतापपुरा, गोपाल कृष्ण तनय आनन्द कृष्ण नि. 690 न्यू मार्केट झासी, योगेश नारायन तनय अडकू राय, मु. तारा वेवा जगदीश प्रसाद, प्रदीप तनय जगदीश प्रसाद, जगदीश प्रसाद व रश्मी पत्नी प्रदीप कुमार गोयल, सुनील, मनीष तनय जागनदास , शीला देवी पत्नी शिवदयाल झा, श्रीमती सरोज पत्नी मोतीलाल झा नि. ग्राम, ईरशाद तनय शोकत अली, संजय तनय रामस्वरूप, मोहम्मद नफीस तनय मोहम्मद हसन अन्सारी नि. ग्राम (२९ / ५६)